FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

शेराराम बनाम गोरधनराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 123 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/5/2019 को पेश हो।	
13/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। तहसील पंचायत समिति चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।	
11/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या-21 से 24 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसील पंचायत समिति डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 03/07/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:38:35 IST
Reason: SelfAttested

03/07/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-21 से 24 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 20 व 25 से 28 बावजूद तामील अनुपस्थित। विप्रार्थी संख्या-21 से 24 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। फाइल पेश करना चाहते है। सक्षम पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/08/19 को पेश हो।

27/08/19 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-21 से 24 के वकील उप०। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। सक्षम पीठासीन अधिकारी अन्य दिगर कार्यों के व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/10/19 को पेश हो।

22/10/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 27/11/19 को पेश हों।

27/11/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 11/3/2020 को पेश हों।

11/3/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 3/6/2020 को पेश हों।

3/6/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/7/2020 को पेश हों।

28/7/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 31/8/2020 को पेश हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:38:35 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या-21 से 24 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। विप्रार्थी संख्या- 21 से 24 के जवाब में पत्रावली दिनांक 11/06/2019 से चल रही है। जो की 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लिहाजा विप्रार्थी संख्या- 21 से 24 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत के बीच जो पुरानी मेड़ व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेडो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिससे खेत के सेडो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेडो को सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभि० निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थर नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो, दाखिल दफ्तर हो।	

तहसीलदार (भू.अ.) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:33:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

/आवेदन/2020/ 609 दिनांकः–31.08.2020

राजस्व आवेदन संख्या –123/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री शेराराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी–कालानाडा झाक, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर		श्री गोरधनराम पुत्र भैराराम वगैरा 28, निवासी– कालानाडा झाक, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कालानाडा, पटवार मण्डल झाक, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 706/617, 711/617 रकबा क्रमशः 162 बीघा, 27 बीघा कुल रकबा 189 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

31.8.2020

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ दिनांकः–

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री शेराराम पुत्र पूर्णाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री गोरधनराम पुत्र भैराराम वगैरा 28
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

31.8.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:38:35 IST
Reason: SelfAttested